126

COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES — COURT FEE भारत दो रुपये TWO RUPEES — COURT FEE भारत दो रुपये TWO RUPEES — COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक : /2003 निगरानी 1812-III/03

शिवचरन पुत्र श्री पुनू जाति कोरी,
निवासी ग्राम जखमोली, सर्किल उमरी
तहसील व जिला भिण्ड म0 प्र0।

— प्रार्थी,

बनाम

सुदामा पुत्र श्री जैयसीराम, जाति काछी,
निवासी ग्राम जखमोली, सर्किल उमरी,
तहसील व जिला भिण्ड म0 प्र0।

— प्रतिप्रार्थी,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-8-2003 पारित द्वारा श्री अखिलेन्दु अरजरिया आई. ए. एस. अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 205/94-95 निगरानी वउन्मान शिवचरन बनाम सुदामा ।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी/ की निगरानी अन्दर म्याद निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

१।१ यह कि, ग्राम जखमोली तहसील व जिला भिण्ड के कोटवार मटरू की मृत्यु दिनांक 20-2-94 को हो जाने के कारण उसके स्थान पर कोटवार नियुक्ति हेतु नायब तहसीलदार वृत उमरी तहसील व जिला भिण्ड द्वारा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1812–तीन/03 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.6.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 205/94–95/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–8–2003 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, वृत्त ऊमरी ने अपने प्रकरण कमांक 4/93–94/230 में पारित आदेश दिनांक 24–5–94 द्वारा रिक्त कोटवार पद पर अनावेदक सुदामा की नियुक्ति अस्थाई रूप से की गई तथा स्थाई कोटवार की नियुक्ति की कार्यवाही हेतु पेशी दिनांक 29–6–94 नियत की । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 9–12–94 द्वारा स्वीकार की तथा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे कोटवारी नियमों के अनुरूप सर्वप्रथम ग्राम के कोटवार पद को रिक्त घोषित करते हुए इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन आमंत्रित करें व उन पर नियमों के तहत जांच कार्यवाही पूर्ण कर पात्र व्यक्ति को कोटवार पद पर पदस्थ करने की कार्यवाही करें । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक सुदामा ने अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश की जो उन्होंने स्वीकार की एवं एस. डी.ओ. का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने	

निग० 1812. तीन/03 ग्वालि (टि05)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । अनावेदक अधिवक्ता को भी लिखित बहस पेश करने का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । 4/ आवेदक की ओर से लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उद्धरित न्यायदृष्टांतों का अवलोकन किया । यह प्रकरण कोटवारी नियुक्ति का है । इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया था वह अंतिम प्रकृति का ना होकर अंतरिम प्रकृति का था, जिसके विरूद्ध निगरानी होना चाहिए थी नाकि अपील । जबकि आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई, जो स्वीकार हुई । अपर कलेक्टर ने इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है कि विचारण न्यायालय का आदेश अपीलीय नहीं था । अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	